बीस रुपये TWENTY RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

195

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

नि.3589-II/16

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.   /2016

1. प्रेमलाल पटेल पुत्र श्री रामसेवक पटेल, निवासी– पिपरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. नारेन्द्रलाल पुत्र श्री रामसेवक पटेल, निवासी– पिपरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---आवेदकगण

विरूद्ध

झूमन प्रसाद पटेल पुत्र नत्थू उर्फ मोतीलल, निवासी– पिपरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

----अनावेदक

श्री विनोद भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 13-10-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-10-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

272
13-10-16

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
13-10-2016

न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर, तहसील व जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25/07/2016, के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम छुलहा तहसील व जिला अनूपपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 315/1 रकबा 0.623 हे. का नकशा तरमीम हेतु तहसीलदार महोदय, अनूपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2. यहकि, आवेदकगण ग्राम छुलहा तहसील व जिला अनूपपुर में स्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3589-दो/2016 जिला अनूपपुर प्रेमलाल विरूद्ध डूमनप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक के द्वारा तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 202/अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 8/1/19
सदस्य